13/10/25	पत्रावली वास्ते आदेश आवेदन आदेश 07 नियम 11 CPC पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। मैंने सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश आवेदन

अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 CPC
स्वीकार किया जाता है। विक्रान्त निर्णय
पृथक से टंकण करा श्री० मिसल
रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

बइजलासः– मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–81/2014/दावा

कज्जूराम व अन्य बनाम नाथूराम व अन्य

प्रार्थना पत्र आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1. वकील श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां, प्रार्थीगण की ओर से।
2. वकील श्री आनन्द राड़, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 13.10.2025**

1. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये वकील ने आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित भूमियाँ सन् 1982 में प्रतिवादी संख्या एक की खरीदी हुई भूमियाँ है तथा प्रतिवादी संख्या एक से सन् 2008 में प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमियाँ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद कर मौके पर कब्जा, काश्त संभाल लिया तब से उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 2 बहैसियत मालिक काबिज है। वाद वर्णित भूमि से वादीगण या प्रतिवादी संख्या एक का कोई सम्बंध, सरोकार नही है। वादीगण ने कतई गलत व मनघड़ंत वाद प्रस्तुत किया है, वादीगण उक्त वाद के जरिये कोई इस्तदुआ प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद वर्णित भूमियाँ प्रतिवादी संख्या एक ने सन् 1982 में ही क्रय की थी तथा वादी संख्या एक से प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि सन् 2008 में ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद कर कब्जा संभाला था तभी से बहैसियत मालिक काबिज है वादीगण अब उन विक्रय–पत्रों के 32 वर्ष बाद मियाद बाहर तथा बिना किसी वाद कारण के उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। गत 32 वर्ष पुराने विक्रय–पत्र के आधार पर मिले खातेदारी अधिकारों को मियाद बाहर जाकर कानूनी प्रावधानों के खिलाफ दावा पेश कर रहे है तो वह वाद अति आवश्यक प्रकृति का नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उक्त वाद धारा 80(2) सीपीसी के नोटिस के अभाव में भी प्रथम दृष्टया ही मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ